Regarding hassle-free resolution of discrepancies under GST-Laid

श्री अतुल गर्ग **(**गाजियाबाद**) :** मैं सरकार का ध्यान वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में कुछ व्यावहारिक कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । GST लागू होने के बाद देश में व्यापार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान स्वरूप मिला है और विकास की गति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । किन्तु कुछ अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपनी कलम को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी छोटे तकनीकी कारण या ड्राइवर की त्रुटि से ट्रक पकड़ा जाता है, तो खरीदार या विक्रेता को सैकड़ों किलोमीटर दूर से बुलाकर, दो से तीन दिनों तक रोक कर, दो से तीन गुना TAX जमा कराया जाता है । अधिकांश मामलों में यह जमा राशि बाद में वापस कर दी जाती है । सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत, कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जाती है, उनके खरीदारों को अनुचित कारणों से बुलाकर, कागज़ जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशानी में डाला जाता है ।

मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में 5-10% की समीक्षा व्यापारी कल्याण बोर्ड या इसी प्रकार के संगठनों द्वारा की जाए । यदि जांच में अधिकारियों की गलती पाई जाती है, तो सम्बंधित अधिकारियों पर भी उचित दंड लगाया जाए ।